<u>न्यायालय–मानस कुमार अवर न्यायाधीश (तृतीय), नरकटियागंज</u>
<u>बंटवारा वाद संख्या–334/2013</u>

राजमोहन साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

ग्रहण साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>19.01.2021</u> उभय पक्ष की पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 21.10.2020 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 के तहत दाखिल किया गया है, जिस पर प्रतिवादी संख्या–6 से 13 की ओर से आज ''नो आब्जेक्शन'' लिखा गया है तथा शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–1 ग्रहण साह की मृत्यु दिनांक 08.09.2020 को हो गई है तथा वे अपने पीछे अपनी पत्नी विंदा देवी तथा 2 पुत्र मधु साह व विनोद साह तथा एक पुत्री कुसुम देवी को छोड़ गए हैं, जो उनके विधिक वारिसान हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादपत्र के प्रतिवादी कॉलम से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाय।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–1 की मृत्यु दिनांक 08.09.2020 को हो चुकी है तथा वे अपने पीछे अपनी पत्नी विंदा देवी तथा 2 पुत्र मधु साह व विनोद साह तथा एक पुत्री कुसुम देवी को छोड़ गए हैं, जो उनके विधिक वारिसान हैं। वादीगण का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित तथा समय सीमा के तहत दाखिल किया गया है। ऐसी दशा में वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र के प्रतिवादी कॉलम से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम विलोपित करते हुए आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें। तत्पश्चात वादीगण प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 05.02.2021 वास्ते प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु।

अवर न्यायाधीश (तृतीय)